<u>गोपनीय</u>

<u>ज्ञापन</u>

कार्यकारी मन्त्री	**राज्य मन्त्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा**
प्रशासकीय सचिव	**अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा**

विषयः **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-17 की प्रशासकीय रिपोर्ट।**

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-17 की प्रशासकीय रिपोर्ट, इसकी समीक्षा तथा समालोचना सहित सरकार के अशा0 कमांक16/31/91-4 पी0पी0 दिनांक 01 जुलाई 1991 की हिदायतों के अनुसार मन्त्री परिषद, हरियाणा को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जानी है। इसके पश्चात यह रिपोर्ट समीक्षा सहित प्रकाशित करवा दी जाएगी।

2. इस मामले को मन्त्री परिषद, हरियाणा के अनुमोदनार्थ हेतू माननीय मुख्य मन्त्री महोदय की पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

दिनांक 09-03-2018
चण्डीगढ़

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

मुख्य कार्यः-

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा निम्नलिखित मुख्य कार्य कर रहा है:-

(i) न्यूनतम समर्थन मूल्य/लेवी खरीद स्कीम के तहत खाद्यान्न की खरीद करना।

(ii) भण्डारों का प्रेषण भारतीय खाद्य निगम को किए जाने तक उनका सुरक्षित रख-रखाव।

(iii) जन वितरण प्रणाली का संचालन।

(iv) आवश्यक वस्तु कानून, 1955 के तहत विभिन्न नियन्त्रण आदेशों को लागू करना।

(v) कंज्यूमर प्रोटैक्शन एक्ट, 1986 को कार्यन्वित करने से सम्बन्धित कर्तव्य।

(vi) माप एवं तोल प्रमाण अधिनियम तथा उस के बनाए गए नियमों के प्रावधानों को लागू करना।

दिनांक 09-03-2018
चण्डीगढ़

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

समालोचना

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा के द्वारा वर्ष 2016-17 में किये गये कार्यो का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

1. इस दौरान हरियाणा की मण्डियों में से 67.54 लाख टन गेहूं तथा 15.16 लाख टन चावल की खरीद की गई।
2. इस दौरान विभाग के पास राज्य में 3.79 लाख टन क्षमता के कवर्ड गोदाम, 0.28 लाख टन क्षमता के रेजड प्लेटफार्म थे।
3. इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्तयोद्या अन्न योजना (ए0ए0वाई0), केन्द्रीय बी0पी0एल0(सी0बी0पी0एल0) + राज्य बी0पी0एल0 (एस0 बी0पी0एल0) तथा अन्य प्राथमिक परिवारों को 7.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपरोक्त अवधि में किया गया।
4. इस दौरान राज्य में कुल 2633 पैट्रोल/डीजल पम्प तथा 2880 ईट भटठे कार्यरत थे।
5. वर्ष 2016-17 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग का कुल प्रशायकीय व्यय 327,03,77,874/- रूपये था। जिसमें से मुख्यालय व जिला स्तर पर खर्च कमशः 11,03,82,460/- रूपये व 315,99,95,414/- रूपये था।
6. इस दौरान विधिक माप विज्ञान संगठन के द्वारा कुल 364 चालान काटे गए, जिसके द्वारा कुल 22,92,500 कम्पाउडिंग फीस प्राप्त हुई।
7. इस दौरान विधिक माप विज्ञान संगठन के द्वारा कुल 1,47,896 व्यापारियों के 7,41,501 मापतोल यन्त्र स्टैम्प किये गये।

इस प्रकार इस वित्तिय वर्ष में विभाग की प्रगति संतोषजनक रही।

दिनांकः 09-03-2018
चण्डीगढ़

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016-17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट।

1. खाद्यान्न खरीद

1.1 वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1525/-रू0 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था।

1.2 खरीद एजैन्सियां और खरीद अनुपात

गेहूं खरीद का कार्य खाद्य एवं पूर्ति विभाग, हैफैड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन, एग्रे इन्डस्ट्रीज तथा भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 2016-17 में क्रमश: 33 प्रतिशत्, 33 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 10 प्रतिशत तथा 12 प्रतिशत के अनुपात में सौंपा गया था ।

1.3 खरीद की मात्रा

इस वर्ष के दौरान हरियाणा की मण्डियों में कुल आमद 67.57 लाख टन रही जिसमें से 67.54 लाख टन गेहूं सरकारी खरीद संस्थाओं द्वारा खरीदा गया। संस्थावर गेहूं खरीद का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

संख्या का नाम	**कुल खरीद (लाख टनों में)**
खाद्य विभाग	17.85
हैफेड	25.18
एग्रे	6.11
एच0डब्लयू0सी0	11.21
कान्फैड	0.00
खाद्य निगम	7.19
कुल	**67.54**

इसका जिलावार विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रमांक	**जिलों के नाम**	**खाद्य विभाग**	**हैफैड**	**खाद्य निगम**	**एग्रो**	**एच0डब्लयू0 सी0**	**कान्फैड**	**कुल**
1	अम्बाला	69300	168125	0	0	22640	0	260065
2	भिवानी	45459	82369	17880	0	37597	0	183305
3	फरीदाबाद	45611	0	29107	0	12829	0	87547
4	फतेहाबाद	128022	187988	76822	145485	53319	0	591636
5	गुडगांव	6165	13655	0	0	30240	0	50060
6	हिसार	116015	151696	47286	104396	35079	0	454472
7	झज्जर	16961	35581	49596	0	18936	0	121074
8	जीन्द	174099	196087	59049	63369	130653	0	623257
9	कैथल	113891	182204	128948	54316	120150	0	599509
10	करनाल	304771	261547	29086	73716	52090	0	721210
11	कुरूक्षेत्र	195023	154185	46573	38287	71844	0	505912
12	मेवात	0	1267	19027	0	40199	0	60493

13	नारनौल	12239	9510	0	0	3338	0	25087
14	पलवल	40830	44177	60183	0	92004	0	237194
15	पंचकूला	0	26944	0	0	6442	0	33386
16	पानीपत	42853	114817	6521	0	91745	0	255936
17	रिवाडी	7230	9007	0	0	18182	0	34419
18	रोहतक	48493	89868	0	0	86590	0	224951
19	सिरसा	273940	502331	53163	68774	151984	0	1050192
20	सोनीपत	77821	101879	93883	52339	15672	0	341594
21	यमुनानगर	66586	184452	2329	10307	29961	0	293635
कुल		**1785309**	**2517689**	**719453**	**610989**	**1121494**	**0**	**6754934**

2. हरियाणा में वर्ष 2016-17 में 379 खरीद केन्द्रों पर गेहूं की खरीद की गई । गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी गेहूं की खरीद पर कोई जोनल पाबन्दी नही थी तथा गेहूं से बने पदार्थ देश के किसी भी भाग में भेजे जा सकते थे ।

2.1 धान, चावल तथा अन्य खाद्यान्न

खरीफ वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा धान, चावल, मक्की, बाजरा तथा ज्वार की खरीद कीमतें निम्नलिखित निश्चित की गई :-

कमांक	किस्म	पैडी	चावल
1.	कामन आई(आर-8 जया)	1470/-	2569.58
2.	ग्रेड-ए बेगमी एच0एम0-95 पी0आर0 107 (सीता परमल रत्ना आर0पी05-3(सोना)पी0आर0 106 बासमती (टैरीकोटी)पूसा 150, पूसा 33 पंजाब न: 1 एच0के0आर0 120	1510/-	2634.95
3.	मक्की	1365/-	
4.	ज्वार	1625/-	
5.	बाजरा	1330/-	

चावल की खरीद दी हरियाणा चावल प्राप्ति उदग्रहरण आदेश 1985 के अन्तर्गत की गई थी। ओर खरीद कीमतें भी उक्त आदेश के तहत निर्धारित की गई थी ।

2.2 खरीद की व्यवस्था

इस वर्ष लेवी प्रतिशतता चावल के सभी किस्म के लिए सिवाय बासमती, सरबती तथा मुच्छल के, 75 प्रतिशत् निश्चित की गई तथा राईस डीलर्स को किसी भी वैरायटी में लेवी देने के छूट रही। इस वर्ष भी बासमती चावल लेवी से मुक्त रहा ।

खरीफ वर्ष 2016-17 के धान में चावल की कम से कम ईल्ड प्रतिशतता निम्नलिखित रही:-

1. कच्चे चावल की सभी किस्मों के उत्पादन पर 67 प्रतिशत
2. सेला चावल की सभी किस्मों के उत्पादन पर 68 प्रतिशत

2.3 लेवी खरीद की मात्रा

दिनांक 01.04.2016 से 31.3.2017 तक 15.16 लाख टन क्स्टम मिल्ड चावल खरीदा गया जो कि खरीफ सीजन 2016-17 मे केन्द्रीय पूल में दिया गया ।

इस वर्ष हरियाणा से चावल तथा खरीफ के मोटे अनाज ज्वार, बाजरा और मक्की पर राज्य से बाहर ले जाने पर कोई पाबन्दी नही रही ।

2.4 मिलिंग क्षमता

इस वर्ष में शैलरों की संख्या तथा उनकी 8 घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से मिलिंग क्षमता निम्न प्रकार से थी:-

शैलरों की कुल संख्या	प्रत्येक घण्टों की मिलिंग क्षमता(टनों में)	वार्षिक क्षमता (टनों में)
907	1600.15	25,60,240

नोट:- चावल बनाने की वार्षि क्षमता इस आधार पर निकाली गई है कि शैलर वर्ष में 200 दिन 8 घण्टे प्रतिदिन काम करते हैं । शैलर एक टन धान की कुटाई एक घण्टे में करता है । जब कि हैलर एक दिन में एक टन धान की कुटाई करता है ।

2.5 धान की खरीद राईस मिलर्ज द्वारा मण्डियों में चालू भाव पर की जाती है । जो कि इस का चावल बना कर राज्य सरकार को लैवी स्कीम के तहत देते हैं । यदि मण्डियों में धान की कीमतें भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई कीमतों से नीचे गिरने लगती है तो सरकारी खरीद ऐजन्सियां इसे निश्चित दरों पर खरीद करती हैं और कीमतों को निर्धारित सीमा से नीचे गिरने से रोकती हैं । सन्दर्भाधीन वर्ष में समर्थन मूल्य स्कीम के तहत धान की खरीद का कार्य सभी खरीद संस्थाओं को सौंपा गया था ।

इस वर्ष में मोटे अनाज यानि बाजरा, मक्की तथा ज्वार में से बाजरे की खरीद का कार्य प्राईस स्कीम के तहत सभी सरकारी संस्थाओं को (भारतीय खाद्य निगम को छोडकर) दिया गया था ।

3. मोटे अनाज, बाजरा, मक्की और ज्वार

3.1 खरीद वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजरा 1330/-रू0 प्रति क्विंटल तथा ज्वार की कीमत 1625/-रू0 प्रति क्विंटल तथा धान व चावल की कीमतें निम्नलिखित निश्चित की गई थी:-

क्रमांक	किस्म	पैडी (रूपये प्रति क्विं0)	चावल
1.	कामन आई(आर-8 जया)	1470/-	2564.69
2.	ग्रेड-ए बेगमी एच0एम0-95 पी0आर0 107 (सीता परमल रत्ना आर0पी05-3(सोना)पी0आर0 106 बासमती (टैरीकोटी)पूसा 150,33 पंजाब नः 1 एच0के0आर0 120	1510/-	2628.51

1. चावल की खरीद 'दि हरियाणा चावल प्राप्ति उदग्रहरण आदेश, 1985' के अन्तर्गत की गई थी । कीमतें भी उपरोक्त आदेश के तहत निश्चित की गई थी ।
2. दिनांक 01.04.2016 से 31.3.2017 तक 15.16 लाख टन कस्टम मिल्ड चावल खरीदा गया जो कि केन्द्रीय पूल में दिया गया ।
3. गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी चावल की मूवमैन्ट तथा खरीफ के मोटे अनाज (ज्वार, मक्की तथा बाजरा) पर राज्य से बाहर ले जाने पर कोई पाबन्दी नही थी ।
4. राज्य में शैलरों की 907 तथा इनकी वार्षिक क्षमता 25,60,240 टन की थी और इसका चावल बनाकर उसका निश्चित भाग राज्य सरकार को लैवी स्कीम के तहत निश्चित दरों पर दिया गया । यदि मण्डियों में धान की कीमतें भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई कीमतों से नीचे गिरने लगती थी तो सरकारी खरीद संस्थाएं इसे निश्चित दरों पर खरीद करती थी । समर्थन मूल्य के तहत धान की खरीद का कार्य सभी खरीद संस्थाओं को सौंपा गया था ।

3.2 खरीद की मात्रा

इस वर्ष खरीफ के मोटे अनाज यानि बाजरा, मक्की और ज्वार की प्राईस स्पोर्ट स्कीम के तहत खरीद का कार्य/हैफेड/एच.डब्लयू0सी0/एग्रो/खाद्य विभाग को सौंपा गया था । परन्तु इस वर्ष राज्य की मण्डियों में मोटे अनाजों मक्की और ज्वार के फेयर ऐवरेज क्वालिटी के स्टाक की कीमतें समर्थन मूल्य से उपर रही । स्पोर्ट प्राईस स्कीम के तहत इनको खरीदने की आवश्यकता नही पडी ।

4 (क) भण्डार क्षमता

वर्ष 2016-17 को विभाग के पास राज्य में निम्नलिखित भण्डारण क्षमता की सुविधा थी:-

1. 3.79 लाख टन क्षमता के कवर्ड गोदाम ।
2. 0.28 लाख टन क्षमता के रेजड प्लेटफार्म ।
3. भण्डारण क्षमता बढाने के लिए भोरसैन्दा, (कुरूक्षेत्र), खरखौदा (सोनीपत) तथा तिगांव (फरीदाबाद) में क्रमश 26380, 42200 व 21098 मि0टन क्षमता के गोदामों निर्माणधीन है । तिगांव (फरीदाबाद) मे 21098 मि0टन0 क्षमता के गोदामों का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चूका है तथा शेष दो गोदामों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) खाद्यान की भण्डारण स्थिति

दिनांक 30.06.2016 को विभाग के पास 724164 एम0टी0 गेहूं भण्डारित था जिसमें 459189 एम0टी0 कवर्ड गोदामों में तथा 264975 एम0टी0 गेहूं ओपन पलिन्थों पर भण्डारित किया हुआ था ।

5. जन वितरण प्रणाली

मुख्य उद्देश्य

राज्य में जन वितरण प्रणाली के निम्न तीन मुख्य उद्देश्य है:-

1. जन वितरण प्रणाली का संचालन।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विभिन्न नियन्त्रक आदेशों को लागू करना।
3. आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
4. आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर करना।
5. कुछ बुनयादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वितरण में समाज के कमजोर वर्गो को समानता तथा सुरक्षा प्रदान करना।

5.1 जन वितरण व्यवस्था का विस्तार एवं पहुंच

हरियाणा राज्य में जन वितरण प्रणाली सुव्यवस्थित है। आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये राज्य में दिनांक 31.03.2016 तक उचित मूल्य की 9239 दुकानें थी और इस समय किसी भी व्यक्ति को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जो नियन्त्रित दरों पर बेची जा रही है, को प्राप्त करने के लिये 1.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नही करनी पड़ती। जन वितरण प्रणाली द्वारा चीनी, गेहूं, दालें और मिटटी के तेल का वितरण किया गया।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्यवाही

उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिपू धारकों से समाज विरोधी तत्व निकालने के लिए उचित मूल्य की दुकानों का जिला कार्यालय से उप-निरीक्षक/निरीक्षक/सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रकों द्वारा नियमित तौर पर निरीक्षण करवाया जाता रहा। इस निरीक्षण के फलस्वरूप दिनांक 01.04.2016 से 31.12.2016 तक जिस किसी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत व कन्ट्रोल आर्डर में बनाए गए प्रावधानों की अनियमितता की हो, 236 डिपू के लाईसैंस रदद् किए गए

है। इन डिपूओं की 17,47,034/- रूपये की प्रतिभूति जब्त की गई। इसके अतिरिक्त अनियमितताएं करने के कारण 20 मामले पुलिस के पास दर्ज करवाए गए, 6 व्यक्ति गिरफतार किए गए।

5.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

हरियाणा राज्य में सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 को दिनांक 20.08.2013 से लागू किया गया। इस नए अधिनियम में पात्र परिवारों को दो श्रेणीयों में विभाजित किया गया है कमशः अन्तोद्या अन्न योजना परिवार तथा प्राथमिक परिवार। अन्तोद्या परिवारों को पहले की भांति 35 किलोग्राम खाद्यान्न 2.00 रुपये प्रति किलो की दर से रियायती दरों पर तथा प्राथमिक परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम गेहूँ इसी दर पर वितरित किया जाऐगा। पहले चरण में अन्तोद्या तथा गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को शामिल किया गया है। जनवरी, 2014 तक इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस अधिनियम को लागू करने के साथ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों की संख्या 54.41 लाख से बढ़कर 126.49 लाख हो गई है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियमए 2013 के लागू होने उपरान्त अध्याय-XI (पारदर्शिता एवं जवाबदेही) तथा खंड 29 में दिये ये ब्यौरे अनुसार गांव/वार्ड, ब्लॉक/ जिला/ राज्य स्तर पर निगरान कमेटी का गठन किया गया है। स्तर की कमेटियॉं पहले से ही गठित की हुई हैं जिन्हें पुनः सक्रिय किया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य के सभी उपायुक्तों को जिला कष्ट निवारण अधिकारी नियुक्त किया गया है। परिवार की सबसे बड़ी महिला जो 18 वर्ष की आयु से कम न हो को परिवार का मुखिया बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया है जिसे सरकार द्वारा दिनांक 13.01.2015 को रद्द कर दिया गया। इन आदेशों के विरुद्ध आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ में सिविल याचिका दायर की गई जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशों पर रोक लगा दी गई है और मामला माननीय उच्च न्यायलय के सम्मुख लम्बित है।

5.3 दाल रोटी स्कीम

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के साथ-साथ दाल रोटी योजना को भी लागू किया है इस योजना के तहत गरीबी से नीचे जीवन यापन करने वाले तथा अन्तोद्या अन्न योजना परिवारों को 2.500 किलोग्राम दाल 20.00 रुपये प्रति किलो की रियायती दरों पर प्रति परिवार वितरित किया जा रहा है ताकि उनके पोषण तथा प्रोटीन की जरुरतों को पूरा किया जा सकें। यह स्कीम 11.10 लाख परिवारों की जरूरतों को पूरा करती है। इस स्कीम को वित्तिय वर्ष 2016-17 के लिए केवल राज्य की वार्षिक सबसिडी 270.50 करोड़ के साथ चलाया जा रहा है।

वित्तिय वर्ष अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक AAY तथा BPL परिवारों को 41538.00 एम0टी0 दाल आवंटित की गई थी। यह आवंटन क्वार्टर के आधार पर की गई थी।

जनवरी से मार्च 2016 तक तथा अप्रैल से जून 2016 तक का आवंटन (16600 एम0टी) संयुक्त रूप से किया गया है।

5.4 खाद्यान्न

मास अप्रैल, 2016 से मार्च, 2017 तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योद्या अन्न योजना (ए0ए0वाई0), केन्द्रीय बी0पी0एल0 (सी0बी0पी0एल0)+राज्य बी0पी0एल0 (एस0बी0पी0एल0) तथा अन्य प्राथमिक परिवारों को 7.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आबंटन किया गया और इस आबंटन के विरूद्ध 7.69 लाख मीट्रिक टन गेहूं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपरोक्त अवधि में किया गया।

5.5 उपभोक्ता मूल्य दर

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दिनांक 20.08.2013 से लागू होने उपरान्त गेहूँ का मूल्य 2/- रुपये, चावल का 3/- रुपये तथा मोटा अनाज का मूल्य 1/- रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। इस अधिनियम के लागू होने उपरान्त केन्द्रीय बी0पी0एल0 (सी0बी0पी0एल0)+ राज्य बी0पी0एल0

(एस0बी0पी0एल0) तथा अन्य प्राथमिक परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य हो गया। श्रेणीवार राशन कार्डो की संख्या 31.3.2016 तक निम्न प्रकार से थी:-

ए0ए0वाई कार्ड	**बी0पी0एल0 कार्ड (केन्द्रीय बी0पी0एल0+ राज्य बी0पी0एल0)**	**अन्य प्राथमिक परिवार**	**ए0पी0एल0 कार्ड**
259837	862671	1829147	3179289

5.6 चीनी

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेवी चीनी का वितरण राज्य में उपभोक्ताओं में 4/2016 से 03/2017 तक 2 किलोग्राम से तक प्रतिमास की दर से प्रतिमास बी0पी0एल0/ए0ए0वाई0 उपभोक्ताओं में वितरित किया गया।

5.7 नागरिक केन्द्रित सेवांए

राशन कार्ड से सम्बन्धित सात सेवाएं जैसे नया राशन कार्ड बनवाना, डुप्लीकेट राशन कार्ड, निरस्ती प्रमाण पत्र, परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज/कटवाना, पता बदलवाने के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकान का बदलना इत्यादि को निम्नानुसार जनता की सुविधा के लिए जल्द सेवा प्रदान करने हेतू समयबद्ध किया गया है:-

क्रं0	विभाग का नाम	सेवाओं का नाम	समय अवधि (कार्य दिवस)	नमित अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी
1	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा	डी-I फार्म अर्थात सभी श्रेणीयों का आवेदन फार्म प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना।	22	निरीक्षक इन्चार्ज/ ए0एफ0एस0ओ0	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	उपायुक्त
2		निरस्ती प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर नया राशन कार्ड जारी करना।	15	-सम-	-सम-	-सम-
3		डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करना।	15	-सम-	-सम-	-सम-
4		परिवारों के सदस्यों के नाम काटना/जोड़ना	15	-सम-	-सम-	-सम-
5		अधिकार क्षेंत्र में पता बदलना।	15	-सम-	-सम-	-सम-
6		उचित मूल्य की दुकान के साथ पता बदलना।	15	-सम-	-सम-	-सम-
7		निरस्ती प्रमाण पत्र/राशन कार्ड के सदस्य का	7	-सम-	-सम-	-सम-

		स्थानांतरण/राशन कार्ड आवेदन स्थानांतरण/राशन कार्ड आवेदन का समपर्ण (surrender) जारी करना।				
8		राशन कार्ड डेटा सुद्धि और घर के मुखिया में संशोधन।	7	-सम-	-सम-	-सम-

उपरोक्त सेवाओं से सम्बन्धित नये सरलीकृत फार्म सभी क्षेत्रिय कार्यालयों में उपलब्ध करवाए गये। ये फार्म विभाग की वैबसाईट haryanafood.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। संबधित सेवाओं बारे विवरण व प्रदान की जाने वाली सेवाओं की समयबद्धता सभी क्षेत्रिय कार्यालयों में प्रदर्शित की हुई है।

5.8 कन्ट्रोल ऑर्डर

वर्ष 2016-2017 के दौरान राज्य में निम्नलिखित कन्ट्रोल ऑर्डर लागू रहे:-

1. दी हरियाणा प्रीवेन्शेन ऑफ होर्डिंग एण्ड मेन्टीनेन्स ऑफ क्वालिटी ऑर्डर, 1977
2. हरियाणा कोमोडिटिज प्राईस मार्किग तथा डिस्पले आर्डर, 1975
3. हरियाणा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (अनुज्ञप्ति तथा नियन्त्रण) आदेश, 2009
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013

5.9 विजिलैंस ब्यूरों से सम्बन्धित सूचना

राज्य चौकसी ब्यूरों हरियाणा ने कैथल जिला में ए.पी.एल गेहूं के सही वितरण न करने बारे इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व एफ.आई.आर नं. 10 दिनांक 4.4.2007 राज्य चौकसी ब्यूरो, थाना अम्बाला शहर में दर्ज की है जोकि माननीय न्यायालय में लम्बित है।

राज्य चौकसी ब्यूरों हरियाणा ने करनाल जिला में ए.पी.एल गेहूं के सही वितरण न करने बारे इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्व एफ.आई.आर नं. 24 दिनांक 30.05.2008 राज्य चौकसी ब्यूरो, थाना रोहतक शहर में दर्ज की है जोकि माननीय न्यायालय में लम्बित है।

5.10 पी0डी0एस0 वितरण से सम्बंधित फौजदारी केस।

जिला पलवल मे दिनांक 16.1.2016 को अनाज से भरे दो ट्रक माननीय मुख्यमंत्री उडनदस्ते द्वारा पकडे गये थे। यह अनाज ओल्ड फरीदाबाद के राशन डिपूओ का था। जिसकी एफ0आई0आर0 न0 22 दिनांक 16.1.2016 थाना चांदहट जिला पलवल मे दर्ज की गई। जिसके सम्बन्ध मे केस माननीय न्यायालय मे लम्बित है।

जिला पलवल मे दिनांक 27.8.2015 को एक ट्रक गेहॅू से लदा हुआ पलवल पुलिस द्वारा पकडा गया। जिसकी एफ0आई0आर0 न0 0538 दिनांक 27.8.2015 को थाना सदर पलवल मे दर्ज की गई। जिसके सम्बन्ध मे केस माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है।

पी0आर केन्द्र हांसी पर कान्फैड के कर्मचारियों/अधिकारियों तथा ठेकेदार के विरूद्ध एक फौजदारी मुकदमा (FIR no. 28/27.07.2015) दर्ज किया गया।

6 पैट्रोल /डीज़ल

वर्ष 2016-17 में पैट्रोल/डीज़ल की स्थिति संतोषजनक रही है। राज्य में 2633 पैट्रोल/डीजल पम्प कार्यरत हैं।

6.1 रसोई गैस

हरियाणा राज्य में इस समय 477 कुकिंग गैस डीलरज़ कार्यरत हैं जोकि लगभग 63.97 लाख उपभोक्ताओं की कुकिंग गैस की मांग को पूरा कर रहे हैं।

6.2 मिट्टी तेल

वर्ष 2016-17 के दौरान मिट्टी तेल की उपलब्धि संतोषजनक रही। इस वर्ष 42312 किलो लीटर मिट्टी तेल की एलोकेशन की गई जिसमें से 35880 किलोलीटर का उठान हुआ। कार्डधारकों को मासवार जारी की गई मात्रा इस प्रकार है:-

(मात्रा लीटर में)

कमांक	**मास**	**ए0पी0एल0**	**बीपी0एल0/ए0ए0वाई0 (बिना एल0पी0जी0)**
1	अप्रैल, 2016	शून्य	7.0
2	मई, 2016	शून्य	7.0
3	जून, 2016	शून्य	7.0
4	जुलाई, 2016	शून्य	7.0
5	अगस्त, 2016	शून्य	7.0
6	सितम्बर, 2016	शून्य	7.0
7	अक्तूबर, 2016	शून्य	7.0
8	नवम्बर, 2016	शून्य	7.0
9	दिसम्बर, 2016	शून्य	7.0
10	जनवरी, 2017	शून्य	7.0
11	फरवरी, 2017	शून्य	7.0
12	मार्च, 2017	शून्य	7.0

6.3 नियंत्रण आदेश

आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तथा वितरण को रैगूलेट करने के लिए भारत सरकार/राज्य सरकार ने निम्नलिखित नियंत्रण आदेश जारी किये हुए हैं:-

1. हरियाणा मिट्टी तेल व्यवहारी अनुज्ञप्ति आदेश, 1976
2. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 2005
3. कैरोसिन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993
4. द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000
5. विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000
6. नाप्था (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000
7. द्रवित पैट्रोलियम गैस (मोटर यानों में उपयोग का विनियमन), आदेश, 2001
8. पैट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भंडारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999

7 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरु से अंत तक कम्प्यूटरीकरण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरु से अंत तक कम्प्यूटरीकरण के अन्तर्गत 9472 उचित मूल्य की दूकानों और 243 गोदामों का अंकरुपण कर लिया गया है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

अधिनियम, 2013 के तहत 29,52,654 परिवारो/राशन कार्डो में 1,33,59,791 लाभार्थीयों का अंकरुपण कर लिया गया है। टोल फ्री सार्वजनिक वितरण प्रणाली हैल्प लाईन नं0 1800-180-2087 तथा 1967 कार्यरत है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पारदर्शिता पोर्टल (http://haryanafood.gov.in) और ऑनलाईन शिकायतों का निवारण प्रणाली काम कर रही है। ऑनलाईन आवंटन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पूरे राज्य में 1 जनवरी 2017 से लागू किया गया है।

उचित मूल्य की दूकानों का स्वचालनः उचित मूल्य की दूकानों के स्वचालन अर्थात ब्रिकी यंत्र (पी0ओ0एस0) के द्वारा सिस्टम इटीग्रेटर के माध्यम से Build, Own and Operate (BOO) Model में राशन के वितरण को पूरे राज्य में 1 नवम्बर, 2016 से लागू कर दिया गया है।

1. नवंबर 2016 के महीने मे 11,07,133 लेन-देन 7241 पो0ओ0एस0 के माध्यम से किये गये।
2. तकनीकी समस्याओं के कारण नवंबर में बचे हुए तथ दिसंबर मास में सभी लाभार्थीयों को बिना ब्रिकी यंत्र के राशन वितरण कर दिया गया है।
3. पो0ओ0एस0 सॉफटवेयर का तर्क बदलकर, 30 सेकंड के एकल बॉयोमेटिक आधार प्रमाणीकरण के उपरांत पो0ओ0एस0 से रसीद निकलती है और लाभार्थीयों को राशन बांट दिया जाता है यह प्रणाली संतोध्जनक ढंग से काम कर रहा है जनवरी 2017 के महीने में 22,74,511 लेन देन पो0ओ0एस0 के माध्यम से सफलतापूर्वक किये गये है।
4. फरवरी 2017, के महीने में पो0ओ0एस0 म८ीन द्वारा 23,06,250 लेन देन 9366 पो0ओ0एस0 के माध्यम से सफलतापूर्वक किये गये है।
5. मार्च 2017, के महीने में पो0ओ0एस0 म८ीन द्वारा 24,69,366 लेन देन 9402 पो0ओ0एस0 के माध्यम से सफलतापूर्वक किये गये है।

लाभार्थीयों का SMS : उचित मूल्य की दूकान के लिए गोदाम से आवश्यक वस्तुओ के उठाने के समय तथा पी0ओ0एस0 के माध्यम से लाभार्थीयों को आवश्यक वस्तुओ का वितरण करने के बाद लाभार्थीयों को SMS भेजा जाता है। यह परियोजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने, लाभार्थीयों को सशक्त करने तथा व्यपवर्तन (Diversion) एवं रिसाव (Leakage) खत्म करने में सहायक है।

अनुचित (Inelegible) NFSA लाभार्थियों की निराई (Weeding out):- अनुचित लाभार्थियों की निराई के हेतु लाभार्थियों का अंकगण के उपरान्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा सत्यापन किया गया तथा सभी लाभार्थियों के आधार नम्बर को प्रविष्टी (Seeding) पी0डी0एस0 डाटाबेस में की जा रही है। 27,01,867 (91.5:) राशन कार्ड में कम से कम एक लाभार्थी का आधार तथा 1,06,82,893 (80:) लाभार्थियों के आधार की प्रविष्टी (Seeding) की जा चुकी है। आधार पर आधारित क्मकनचसपबंजपवद के दौरान लगभग 10 लाख लाभार्थीयों के क्नचसपबंजम आधार पाये गये। क्नचसपबंजपवद आधार वाले लाभार्थियों को गेहूं का वितरण बन्द कर दिया गया है।

उचित मूल्य की दूकान में बिना नकद लेनदेन : उचित मूल्य की दूकान पर आंध्र प्रदेश मॉडल पर आधारित कैशलेस आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar Enable Payment System-AEPS) को लागू करने का फैसला लिया गया है। अप्रैल से अम्बाला में पायलट प्रोजेक्ट को पूरी तरह से ऑनलाइन और कैशलेस मोड लागू किया गया है। अम्बाला जिले में सफल परीक्षण के बाद एफ0पी0एस0 पर पूरी तरह से ऑनलाइन मोड और कैशलेस लेनदेन करने का निर्णय लिया गया है।

8 सी0एम विन्डो की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा दिसंबर 2014 से सी0एम कष्ट निवारण सिस्टम की शुरूआर की गई जिसके तहत अब तक कुल 6637 शिकायतें प्राप्त हे चूकि हैं जिनमें से 5881 शिकायतों (89%) का निर्धारित समयावधि में निपटान किया जा चुका है।

9 सलैक कोल का आयात

1. भारत सरकार ने कोयले को अनियंत्रित कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप, हरियाणा कोयला नियंत्रण आदेश 1977 को हरियाणा राज्य की अधिसूचना दिनांक 17.04.2006 द्वारा खण्डित कर दिया

गया। सलैक कोयला बंगाल/बिहार की खाद्यानों से नीलामी के आधार पर बेचा जा रहा है। कोयला रेल/सडक मार्ग से बिना किसी प्रयोजन के आयात किया जा रहा है। सलैक कोयला के आयात में इस विभाग की कोई भी भूमिका नही है।

2. भारत सरकार ने दिनांक 18.10.2007 को लघु, छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए कोयले की वितरण सम्बन्धी एक नीति जारी की। भारत सरकार की इस नीति के तहत हरियाणा सरकार ने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की अधिसूचना कमाक नं. 2/3/2010-1IB-II दिनांक 18.10.2011 द्वारा हरियाणा राज्य में कोयले के वितरण हेतु दो संस्थाओं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन ऑनर ऐशोसिएशन को नामित किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, राज्य के लघु, छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों को कोयले की आपूर्ति करेगी तथा हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन ऑनर ऐशोसिएशन, प्रदेश के ईट भट्ठों को कोयले की आपूर्ति करेगी। राज्य सरकार द्वारा नामित हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन ऑनर ऐशोसिएशन से भटठे में प्रयोग के लिये कोयला लेने के लिये कोई भी ईंट भटठा मालिक बाध्य नही है व भटठा मालिक अपने स्तर पर भी कोयले का प्रबंध कर सकता है। इस नीति के तहत सलैक कोयले के आयात में राज्य सरकार की कोई भी भूमिका नही है।

9.1 ईंट भटठे

31.03.2017 को राज्य में 2926 ईट भटठे थे जिसमें से 2880 भटठे कार्यरत थे।

दा हरियाणा कंट्रोल आफ ब्रिक्स सप्लाईज आर्डर, 1972 में संशोधन

1. ईंटों की उपलब्धता के संदर्भ में उल्लेख है कि हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.03.2007 जिसमें दी हरियाणा कंट्रोल आफ ब्रिक्स सप्लाईज आर्डर, 1972 की धारा-9, 10, 12, 13, 14, 15 तथा 16 व इससे संबधित प्रारूपों सी से एफ को उक्त कन्ट्रोल आर्डर से समाप्त/लोप किया जा चुका है। इससे पूर्व उपरोक्त वर्णित धाराओं के तहत ईंटों की दरों तथा कुल ईंटों की उपलब्धता से संबधित आंकडे सभी भटठों से मांगे जाते थे व उनका रिकार्ड रखा जाता था। इस प्रकार अधिसूचना दिनांक 01.03.2007 जारी होने के पश्चात् भटठा मालिक इस प्रकार के आंकडे जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक के कार्यालय में प्रस्तुत नही करते हैं। यहां पर यह भी वर्णन किया जाता है कि राज्य से बाहर ईंटों को ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध है।

2. राज्य सरकार ने अधिसूचना दिनांक 15.09.2008 द्वारा दा हरियाणा कंट्रोल आफ ब्रिक्स सप्लाईज आर्डर, 1972 की धारा-4(iii) तथा 21 में संशोधन किया है जिसमें भटठे से गांव तथा 'सी' श्रेणी की नगरपालिका सीमा से भटठे की दूरी 1 किलोमीटर की बजाय 800 मीटर, रिजर्व फोरेस्ट 2 किलोमीटर की बजाय 1 किलोमीटर तथा 220 केवी तथा उससे उपर की बिजली की लाईन की दूरी 500 मीटर की बजाय 600 मीटर निर्धारित की गई है। सरकार अधिसूचना दिनांक 15.09.2008 से पूर्व धारा-21 के तहत कंट्रोल आर्डर की सभी धाराओं में छूट प्रदान करने में सक्षम थी, परन्तु अधिसूचना दिनांक 15.09.2008 में अंकित प्रावधान के अनुसार अब राज्य सरकार आबादी, स्कूल, डिस्पैंसरी, हास्पिटल, पब्लिक पार्क, सावर्जनिक उपयोगी संस्थान, बिजली की लाईन में अधिकतम 20 प्रतिशत, बाग, फोरेस्ट, नर्सरी में अधिकतम 10 प्रतिशत तक की ढील/छूट प्रदान कर सकती है तथा सडकों की दूरी में कोई ढील/छूट प्रदान नही कर सकती।

9.2 अर्बनाईजेबल जोन में स्थित भटठों के बारे नीति

सरकार ने पत्र क्रमांक 2बी.के.-7/7/2010/22595 दिनांक 21.12.2010 द्वारा अर्बनाईजेबल जोन में स्थित ईट भटठों के बारे नीति जारी की है। इस नीति में अंकित प्रावधान अनुसार अर्बनाईजेबल जोन में स्थित ईंट भट्ठे सरकार द्वारा उस सैक्टर की जमीन अधिग्रहण करने हेतू जमीन अधिग्रहण नियम के तहत जारी किये गये सैक्शन 4 की अधिसूचना या कोलोनाईजर द्वारा सी.एल.यू. तथा लाईसैंस लेने की तिथि से 6 महीने उपरांत नहीं चल सकेगें। इसके अतिरिक्त नगरपालिका सीमा के अन्दर भी जो भट्ठे आ गये हैं वो भी इस नीति के जारी होने की तिथि से 6 महीने के बाद नही चल सकेगें। नगर पालिका सीमा की वृद्धि का अगर Draft Development Plan प्रकाशित हो चुका है तो बढ़ी हुई सीमा में भी ईंट भट्ठे जमीन अधिग्रहण नियम के सैक्शन 4 की अधिसूचना के नोटिस जारी होने की तिथि से 6 महीने उपरांत नहीं चल सकेगें।

9.3 आबादी के नजदीक स्थित भटठों के बारे नीति

माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के C.M. No. 4643 and RA 75 of 2010 in CWP 12838 of 2006 में पारित निर्णय/आंकलन दिनांक 2.03.2012 के दृष्टिगत सरकार ने आबादी के नजदीक स्थित भटठों के बारे एक नीति दिनांक 05.07.2013 राज्य के सभी जिलाधीशों/जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को जारी की है जिसके अनुसार आबादी के 500 मीटर के दायरे में स्थित भटठों को अधिकतम दो वर्ष यानि दिनांक 05.07.2015 तक बंद किया जाये। हरियाणा प्रदेश ब्रिक किलन आनर ऐशोसिएशन ने सरकार को अनुरोध किया है कि उक्त नीति से प्रभावित भटठा मालिकों द्वारा प्रदूषण को नियंत्रण करने वाली तकनीक अपने भटठे में लगवाने की शर्त पर इन भटठों को बंद न किया जाये। मामला सरकार के विचाराधीन है।

10 उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ताा संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हकों को परिभाषित करने तथा उनके हितों को बचाये रखने के लिए बनाया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2004 दिनांक 17.03.2004 को अधिसूचित किए गये हैं। हरियाणा सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों कि रक्षा करने के लिए समय समय पर विभिन्न सुरक्षात्मक उपाय किए गए है तथा विभिन्न उपभोक्ता कल्याण गतिविधियों को शुरू किया है।

10.1 राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र

हरियाणा राज्य में उपभोक्ता सहायता केन्द्र भारत सरकार के उपभोक्ता मामलें विभाग मंत्रालय के निर्देशें के अनुसार अगस्त, 2013 हरियाणा राज्य के उपभोक्ताओं को समर्पित किया गया था। राज्य भर से उपभोक्ता इसका टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087 डायल कर अपनी समस्याओं के बारे में परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

10.1.2 विज्ञापन

मई 2016 के महीने में हरियाणा राज्य में मुख्य समाचार पत्रों में राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र द्वारा **"उपभोक्ता जागरूकिकरण"** के विषय पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। अक्तूबर 2016 के महीने में हरियाणा राज्य में मुख्य समाचार पत्रों में राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र द्वारा उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए **"बी पी पल परिवारों के लिए मुफत गैस कनैक्शन"** के विद्दय पर एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

उपभोक्ता जागरूकता अभियान

10.2 राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत प्रदान किए गए हकों के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्श 24 दिसम्बर का दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

वर्ष 2016 के लिए जिला खाद्य एंव पूर्ति नियंत्रको को हरियाणा राज्य में बडे पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम, विशेश रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, करने के लिए निर्देशित किया गया था। वर्ष 2016 के लिए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नागरिकों के बीच विभिन्न क्षेत्रों जैसे की एल.पी.जी., बैंकिग, बीमा, सूचना का अधिकार, आई.एस.आई, एगमार्क, खाद्य अपमिश्रण, एम.आर.पी. आदि से संबधित जानकारी वाले पर्चे सभी जिलों में नागरिकों के बीच वितरित करने के लिए भेजे गये थे।

10.3 विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस

प्रत्येक वर्ष **"विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस"** 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च 2017 उपभोक्ताओं के अधिकार विश्य पर एक विज्ञापन विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था उस विज्ञापन के पोस्टर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों जैसे: बस स्टैंड, पी. आर. केन्द्र, चौंक बाजार और उचित मुल्य की दुकानों पर प्रर्दशित किया गया था। 15 मार्च 2017 पर लोगों को जागरूक करने के उद्वेश्य से माननीय मुख्यमंत्री और खाद्य एंव आपुर्ति मंत्री के संदेश के साथ विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था उस विज्ञापन के पोस्टर प्रत्येक डी.एफ.एस.सी कार्यालय में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए भेजे गये थे।

10.4 स्कूलों में उपभोक्ता क्लबों की स्थापना

स्कूली बच्चों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किए जाने व रूझान पैदा किये जाने के उद्वेश्य से तथा देश में उपभोक्ता अधिकारों के प्रति चलाए जा रहे आन्दोलन को सुदृढ़ किये जाने के उद्वेश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य के 6 जिलों के 135 स्कुलों में उपभोक्ता क्लबों की मास जनवरी, 2006 में स्थापना की जानी प्रस्तावित है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से जो अनुदान राशि प्राप्त हो चुकी है उसे औपचारिकताएं पूर्ण करवाने उपरान्त 86 कंजूमर क्लबों के लिए सम्बन्धित जिलों के जिला शिक्षा एंव प्रशिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करवा दी गई है तथा बाकी अनुमोदित जिलों (मेवात,महेन्द्रगढ तथा रोहतक) को औपचारिकताएं पूर्ण करवाने उपरान्त उपलब्ध करा दी गई है। उपयोग की गई 8.60 लाख की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को दिनांक 09.10. 2012 को उपलब्ध करा दिया गया तथा जिसे कि दोबारा दिनांक 04.10.2013 को भारत सरकार को भेज दिया गया है तथा बाकी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलों(डाईटस)से प्राप्त होते ही भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

10.5 राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि (कारपस फंड)

सभी संघराज्य/राज्य क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूक गतिविधियों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्कीम जो कि कारपस फंड के रूप में है जिसकी राशि का 75 प्रतिशत योगदान केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण कोष से देने का फसला लिया है तथा बाकी का 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस कुल राशि को एक ब्याज जनित खाते में रखा जाना है। अर्जित ब्याज की राशि को राज्य/स्थानीय स्तर के वित्तपोषण तथा अन्य कार्यक्रमों सहित राज्य उपभोक्ता हैल्पलाईन के खर्चीं के लिए उपयोग किया जा सकता है। केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के (7.50 जमा 2.50 करोड) प्राप्त हिस्से को बैंक में अलग से फिक्स डिपोजिट के रूप में जमा करा दिया गया है तथा भारत सरकार से बाकी हिस्सा जल्द ही प्राप्त होने की आशा है।

संशोधित नियम शर्तो/उपभोक्ता कल्याण कोष के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार से हैं:-

1 राज्य/संघ सरकार प्रथम चरण में एक अलग,गैर लैपसेबल,ब्याज खाते के असर में अपने हिस्से के रूप में कुल राशि का 25 प्रतिशत जमा करेंगे।

2 स्थानीय कार्यक्रमों और गतिविधियों की बैठक के लिए उत्पन्न ब्याज व्यय किया जा सकेगा। राज्य द्वारा स्थानीय कार्यक्रमों जो कि उपभोक्ता कल्याण तथा संरक्षण संबंधित होंगे पर इस ब्याज की राशि को खर्च किया जा सकेगा।

3 कारपस फंड को किसी भी अन्य गतिविधियों पर खर्च नहीं किया जा सकता।

4 राज्य /संघ क्षेत्र राशि स्वीकृत करने के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित करेगा जो कि संशोधित केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण निधि की तरज पर होंगे तथा जिसे कि राज्य/संघ द्वारा अपने वेब साईट पर पोस्ट किया जाएगा।

5 स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों अन्य संस्थानों को उपभोक्ता कल्याण निधि से अनुदान प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया जाना होगा।

6 त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की जानी होगी जिसमें उपभोक्ता कल्याण निधि में से किए गए सभी खर्चो का पूर्ण ब्यौरा होगा।

11. प्रशासकीय व्यय

वर्ष 2016-17 में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा का कुल प्रशासकीय व्यय 327,03,77,874/- रूपये था। जिसमें से मुख्यालय व जिला स्तर पर खर्च कमशः 11,03,82,460/- रूपये व 315,99,95,414/- रूपये था।

12. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की वर्ग अनुसार नियुक्तियों/पदोन्नतियों का विवरण वर्ष 2016-17

श्रेणी	पद का नाम	सामान्य	एस0 सी0	बी0 सी0	भू0पू0सै0	विकलांग	कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
III	सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी	8	-	2	-	-	10
	उप अधीक्षक (मुख्यालय)	-	-	-	-	-	-
	आडिटर (मुख्यालय)	9	-	-	-	-	9
	आडिटर (क्षेत्रीय)	36	-	-	-	-	36
	सहायक (मुख्यालय)	1	-	-	-	-	1
	सहायक (क्षेत्रीय)	-	-	-	-	-	-
	आकंड़ा सहायक	-	-	-	-	-	-
	लेखाकार (क्षेत्रीय)	12	-	-	-	-	12
	निरीक्षक	40	3	-	-	-	43
	उप निरीक्षक	-	-	-	-	-	-
	मुख्य विश्लेषक	-	-	-	-	-	-
	अवर विश्लेषक	-	-	-	-	-	-
	स्टैनोग्राफर (मुख्यालय)	-	-	-	-	-	-
	स्टैनोग्राफर (क्षेत्रीय)	-	-	-	-	-	-
	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	-	-	-	-	-	-
	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	-	-	-	-	-	-
	लिपिक (मुख्यालय)	-	-	-	-	-	-
	लिपिक (क्षेत्रीय)	5	1	3	-	-	9
	चालक (मुख्यालय)	-	-	-	-	-	-

	चालक (क्षेत्रीय)	–	–	–	–	–	–
IV	सेवादार (मुख्यालय)	–	–	–	–	–	–
	सेवादार (क्षेत्रीय)	–	–	–	–	–	–
	चौकीदार (मुख्यालय)	–	–	–	–	–	–
	पी0आर0 चौकीदार (क्षेत्रीय)	–	–	–	–	–	–
	स्वीपर-कम-चौकीदार (क्षेत्रीय)	–	–	–	–	–	–
	जमादार (मुख्यालय)	–	–	–	–	–	–
	दफतरी (मुख्यालय)	–	–	–	–	–	–
	दफतरी(क्षेत्रीय)	–	–	–	–	–	–
	स्वीपर (मुख्यालय)	–	–	–	–	–	–

13. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016–17 प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पदों की संख्या वेतनमान सहित

मुख्यालय अमला

कमांक	पद संज्ञा	वेतनमान/स्केल रूपये में (Pre-revised)	कुल
1	2	3	4
1	निदेशक खाद्य एवं पूर्ति	भारत सरकार प्रशासनिक सेवा के प्रवर वेतनमान में	1
2	अतिरिक्त निदेशक खाद्य एवं पूर्ति विभाग (विभागीय)	15600-39100+7600 G.P	2
3	संयुक्त निदेशक खाद्य एवं पूर्ति	15600-39100+6400 G.P	1
4	उप निदेशक खाद्य एवं पूर्ति	15600-39100+6000 G.P	3
5	संयुक्त नियंत्रक खाद्य लेखा	9300-34800+8000 G.P	1
6	उप नियंत्रक खाद्य लेखा	9300-34800+6000 G.P	1
7	सहायक नियंत्रक खाद्य लेखा	9300-34800+5400 G.P	4
8	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक	9300-34800+5400 G.P	2
9	जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी	9300-34800+4600 G.P	2
10	उप जिला अटार्नी	9300-34800+5400 G.P	1
11	सहायक जिला अटार्नी	9300-34800+4600G.P+200 Spl. pay	2
12	अधीक्षक	9300-34800+4200 G.P	4
13	उप-अधीक्षक	9300-34800+4000 G.P	7
14	अनुभाग अधिकारी	9300-34800+4200G.P+100 Spl. Pay	11
15	कम्प्युटर आपरेटर	9300-34800+3600 G.P	1
16	सहायक	9300-34800+3600 G.P	45
17	लेखाकार	9300-34800+3600 G.P	3
18	लेखा परीक्षक	9300-34800+3600 G.P	51
19	सहायक खाद्य एवं पूति अधिकारी	9300-34800+4000 G.P	3
20	मुख्य विश्लेषक	9300-34800+3600 G.P	1
21	निजि सचिव	9300-34800+4200 G.P	1
22	निजि सहायक	9300-34800+4000G.P+150	1

		Spl. Pay	
23	सीनियर स्केल स्टैनोग्राफर	9300-34800+3200 G.P	5
24	जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर	5200-20200+2400G.P	10
25	स्टैनो-टाईपिस्ट	5200-20200+1900G.P+100 Spl Pay	8
26	लिपिक	5200-20200+1900G.P	51
27	पिक्कर	5200-20200+1800G.P	2
28	रैस्टोरर	5200-20200+1900G.P	3
29	चालक	5200-20200+2400G.P+200 Spl. pay	8
30	निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति	9300-34800+3600G.P	5
31	ड्राफ्टसमैन	9300-34800+4000G.P	1
32	दफ्तरी	4440-7440+1650G.P	4
33	सेवादार	4440-7440+1300G.P	42
34	चौकीदार	4440-7440+1300G.P	3
35	जमादार	4440-7440+1650G.P	1
36	स्वीपर	4440-7440+1300G.P	2
क्षेत्रीय अमला			
1	जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक	9300-34800+5400 G.P	21
2	जिला खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी	9300-34800+4600 G.P	21
3	अधीक्षक	9300-34800+4200G.P	21
4	सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी	9300-34800+4000G.P	80
5	सहायक	9300-34800+3600G.P	16
6	अनुभाग अधिकारी	9300-34800+4200G.P+100 Spl Pay	21
7	लेखा परीक्षक	9300-34800+3600G.P	80
8	लेखाकार	9300-34800+3600G.P	58
9	आंकड़ा सहायक	9300-34800+3600G.P	14
10	मुख्य विश्लेषक	9300-34800+3600G.P	33
11	निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति	9300-34800+3600G.P	312
12	अवर विश्लेषक	5200-20200+2400G.P	58
13	उप निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति	5200-20200+1900G.P	318
14	स्टैनो-टाईपिस्ट	5200-20200+1900G.P+100 Spl Pay	21
15	लिपिक	5200-20200+1900G.P	241
16	पिक्कर	5200-20200+1800G.P	28
17	चालक	5200-20200+2400G.P+100 Spl. Pay	21
18	दफ्तरी	4440-7440+1650G.P	19
19	सेवादार	4440-7440+1300G.P	156
20	स्वीपर-कम-चौकीदार	4440-7440+1300G.P	21
21	पी0आर0चौकीदार	4440-7440+1300G.P	284

14. प्रतिनियुक्ति पर रहने वाले खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा के श्रेणी-III व IV के कर्मचारियों की सूची

वर्ष 2016-17				
क्र0	**नाम व पद**	**कार्यालय**	**प्रतिनियुक्ति की तिथि**	**प्रतिनियुक्ति पर कब तक रहा**
1	श्री यशपाल दलाल, सहायक	सचिव, राज्यपाल हरियाणा भवन, चण्डीगढ़	09.06.2008	13.01.2017
2	श्री ललित कुमार, निरीक्षक	खाद्य एवं पूर्ति विभाग, यू0टी0 चण्डीगढ़	22.08.2013	लगातार
3	श्री रवि ढाका, लेखा परीक्षक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, रोहतक	20.04.2016	लगातार
4	श्री जगबीर, लेखा परीक्षक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, सोनीपत	03.10.2016	ल्गातार
5	श्री सुभाष चन्द, लेखा परीक्षक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, यमुना नगर	05.05.2016	लगातार

15. अन्य विभागों खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा में प्रतिनियुक्ति आधार पर रहने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची

वर्ष 2016-17				
क्र0	**नाम व पद**	**कार्यालय**	**प्रतिनियुक्ति की तिथि**	**प्रतिनियुक्ति पर कब तक रहा**
1	पुष्पा देवी, आंकडा सहायक	श्रम विभाग, हरियाणा	04.03.2014	लगातार
2	राजेश कुण्डु, वरिष्ट वेतनमान आशुलिपिक	एफ सी आर, हरियाणा	01.05.2015	लगातार

16. वर्ष 2016-17 के दौरान निलंबित किये गये कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची:-

क्रमांक	**नाम व पद**	**निंलबन की तिथि**	**बहाली की तिथि**
1	भीम सिंह, लिपिक	06.05.2016	बर्खास्त
2	संतोष कुमार, लिपिक	06.05.2016	30.09.2016
3	अश्वनी कुमार, उप-अधीक्षक	09.06.2016	28.07.2016
4	सुनील कुमार, सहायक	09.06.2016	28.07.2016
5	बल्केश, निरीक्षक	24.06.2016	लंबित है
6	अंग्रेज, उपनिरीक्षक	24.06.2016	लंबित है
7	सत नारायण, निरीक्षक	30.06.2016	26.08.2016
8	राकेश कुमार, सहायक	11.08.2016	01.09.2016
9	सुरेन्द्र कुमार ढुल, सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, अधिकारी	19.08.2016	08.02.2017
10	परवेश कुमार, उपनिरीक्षक	19.08.2016	08.02.2017
11	निकेश कुमार, उपनिरीक्षक	26.08.2016	लंबित है
12	धर्मवीर चौपडा, सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, अधिकारी	01.09.2016	लंबित है
13	देवेन्द्र दहिया, निरीक्षक	01.09.2016	लंबित है
14	निकेश कुमार, उपनिरीक्षक	01.09.2016	लंबित है
15	विनोद कुमार, उपनिरीक्षक	01.09.2016	लंबित है

16	राजेश कुमार, उपनिरीक्षक	05.09.2016	लंबित है
17	राजेश कुमार, निरीक्षक	30.08.2016	30.09.2017
18	बिजेन्द्र लाठर, उपनिरीक्षक	14.10.2016	लंबित है
19	संदीप लाठर, निरीक्षक	09.09.2016	10.11.2016
20	संदीप कुमार, उपनिरीक्षक	10.11.2016	30.05.2017
21	राजेश कुमार हुडडा, निरीक्षक	23.12.2016	लंबित है
22	प्रेम चन्द, ड्राईवर	15.02.2017	लंबित है
23	प्रेमपाल, उपनिरीक्षक	02.02.2017	03.03.2017
24	राम निवास, निरीक्षक	17.02.2017	लंबित है
25	सुरेश कुमार गर्ग, निरीक्षक	28.03.2017	लंबित है
26	विरेन्द्र सिंह, लेखापरीक्षक	29.03.2017	14.06.2017

17. वर्ष 2016-17 के दौरान कर्मचारियों / अधिकारियों के विरूद्व जारी किये गये वसूली आदेशों की सूची:-

क्रमांक	नाम व पद
1	जी0पी0एस0 सिकरी, जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, नियंत्रक (अब उप-निदेशक, सेवानिवृत, मुख्यालय)
2	हंस राज, जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, नियंत्रक
3	इन्द्र सैन अरोडा, अधीक्षक

18. वर्ष 2016-17 के दौरान कर्मचारियों / अधिकारियों की संचित / असंचित प्रभाव से रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्वियों की सूची:-

क्रमांक	नाम व पद
1	धर्म सिंह, लेखापरीक्षक
2	अरविन्द कुमार, लिपिक
3	बलबीर सिंह, लिपिक
4	किरण बाला, लेखाकार
5	प्रमोद कुमार, जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, नियंत्रक
6	रविन्द्र सिंह जांगलान, सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, अधिकारी

19. वर्ष 2016-17 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों को दी गई परिनिन्दा सजा की सूची:-

क्रमांक	नाम व पद
	--शून्य--

20. वर्ष 2016-17 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों को दी गई चेतावनी की सूची:-

क्रमांक	नाम व पद
1	अमरजीत सिंह, निरीक्षक
2	धर्मपाल, उपनिरीक्षक
3	मीनाक्षी, निरीक्षक
4	निहाल सिंह, निरीक्षक

5	विनोद कुमार, सहायक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें, अधिकारी
6	जोगिन्द्र सिंह, सहायक
7	देवी बाई, अधीक्षक
8	मनोज कालिया, लेखापरीक्षक
9	महेश यादव, अधीक्षक
10	महेश यादव, अधीक्षक
11	राकेश कुमार, लिपिक
12	सुरेन्द्र हुडडा, निरीक्षक

21. वर्ष 2016–17 के दौरान सेवा से बर्खास्त व सेवा से हटाये गये कर्मचारियों की सूची:–

क्रमांक	**नाम व पद**
1	भीम सिंह, लिपिक

22. विधिक माप विज्ञान संगठन की कार्य प्रणाली का स्वरूप–

सामान्यतः बाजार में उपभोक्ता से उस द्वारा खर्च की गई राषि से प्राप्त मात्रा बारे प्रायः धोखा होने की सम्भावना होती है और इस प्रकार व्यय की गई राषि से प्राप्त होने वाले पूर्ण लाभ से वंचित रह जाता है । उपभोक्ताओं को इस प्रकार के होने वाले नुकसान को माप तोल यन्त्रों के सही प्रयोग एवं अवहेलना होने पर कडे दण्ड प्रावधानों से रोका जा सकता है । माप तोल कार्य को सुचारू रूप देने के लिए सरकार ने संवैधानिक अधिनियम/नियम बनाए हैं ।

विधिक माप विज्ञान संगठन हरियाणा राज्य में निम्नलिखित अधिनियम/नियमों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है:–

1. विधिक माप विज्ञान, अधिनियम, 2009
   इस अधिनियम के तहत व्यापारिक प्रयोग के लिए रखे गए बाट, माप एवं माप तोल उपकरणों का स्टांपन एवं सत्यापन, नियमों की उल्लघनां होने पर दण्ड व माप तोल उपकरणों के निर्माता, विक्रेता, मुरम्मतकर्ता का लाईसेंस जारी किया जाता है ।
2. विधिक माप विज्ञान, (पैकेज में रखी वस्तु में) नियम, 2011 के अन्तर्गत यह कानूनी तौर पर जरूरी है कि
   क. निर्माता अपने पैकेट्स पर निम्नलिखित मुख्य बातें लिखे–
   - निर्माता/पैकर का नाम व पूरा पता ।
   - वस्तु का सामान्य नाम
   - वास्तविक मात्रा
   - पैकेट में रखी वस्तु का शुद्ध भार
   - निर्माण की गई, पैकेट में रखी गई या आयात की गई वस्तु का मास एवं वर्ष ।
   - पैकेट में बन्द की गई वस्तु की मानक इकाई ।
   - पैकेट में रखी वस्तु का खुदरा मूल्य (सभी कर सहित) ।
   - पैकेट में रखी वस्तु की लम्बाई चौडाई जहां विक्रय, आकार के आधार पर हो

   ख. विधिक माप विज्ञान, (पैकेज में रखी वस्तु में) नियम, 2011 के अन्तर्गत निर्माता, पैकर और आयातक का पंजीकरण ।
   ग. विधिक माप विज्ञान, (पैकेज में रखी वस्तु में) नियम, 2011 के अन्तर्गत पैकेट में रखी वस्तु का शुद्ध भार, माप, परिमाण ज्ञात करना ।
   घ. पैकेट में रखी वस्तुओं के वितरक और खुदरा विक्रेताओं का निरीक्षण करना एवं सुनिष्चित करना कि वितरक और खुदरा विक्रेता सभी नियम/अधिनियमों का पालन करें एवं पैकेट पर अंकित खुदरा मूल्य से अधिक पर ब्रिकी न करें ।
3. विधिक माप विज्ञान, (सामान्य) नियम, 2011
4. विधिक माप विज्ञान (राष्ट्रीय मानक) नियम, 2011

5. विधिक माप विज्ञान (गणना) नियम, 2011
6. हरियाणा विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011
7. विधिक माप विज्ञान (नमूना स्वीकृति) नियम, 2011
8. भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान नियम, 2011

22.1 संगठन स्वरूप–

कमांक	पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद	टिप्पणी
1	नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, हरियाणा	1	1	–	–
2	उप नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, (अम्बाला)	1	1	–	–
3	सहायक नियन्त्रक विधिक माप विज्ञान, (हिसार, रोहतक, अम्बाला एवं फरीदाबाद)	4	4	–	–
4	निरीक्षक	32	19	13	हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 10 पदों की नियुक्ति के लिए मांग
5	हस्त सहायक	33	24	9	हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग को 7 पदों की नियुक्ति के लिए मांग
6	उप अधीक्षक	1	0	1	–
7	सहायक–कम– लेखाकार	1	1	–	–
8	साज सामान मुरम्मतकर्ता	1	0	1	–
9	लिपिक	6	3	3	स्थाई पद के विरूद्ध एक पद डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/लिपिक (हारट्रोन द्वारा अनुबन्ध आधार पर)
10	स्टैनो–टाईपिस्ट	1	1	–	–
11	दफतरी	1	–	1	–
12	सेवादार	5	0	5	–
13	चौकीदार	1	1	–	–
14	जीप चालक	1	1	0	अनुबन्ध आधार पर
15	भारी वाहन चालक	1	–	1	अनुबन्ध आधार पर भरने के लिए प्रकिया अधीन
16	हैल्पर	1	–	1	–

22.2 संगठन की गतिविधियां–

निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान निरीक्षण एवं सत्यापन कार्य करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है । वह व्यापारियों को उनके माप तोल यन्त्र सत्यापन करने के लिए नोटिस जारी करता है । निरीक्षक सत्यापन व स्टांपन फीस एकत्रित करके रसीद जारी करता है । तब मुरम्मतकर्ता द्वारा उन यन्त्रों की समीक्षा, टैस्ट व मुरम्मत की जाती है जिसके लिए उसके पास लाईसैंस है । वह इन माप तोल यन्त्रों को निरीक्षक के सम्मुख प्रस्तुत करता है और निरीक्षक माप तोल यन्त्रों से सम्बन्धित सत्यापन प्रमाण पत्र जारी करता है । जब कभी भी अधिनियमों और नियमों की कोई उल्लंघना पाई जाती है निरीक्षक उन व्यापारियों के विरूद्ध केस बुक करता है और उन केसों को सम्बन्धित उप नियन्त्रक /सहायक नियन्त्रक को भेजता है ।

निरीक्षक द्वारा बुक किए गए केसों को उप/सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा निपटाया जाता है । उप/सहायक नियन्त्रक अपने क्षेत्र के अधीन केन्द्रों का आकसमिक निरीक्षण करते हैं । यदि

किसी पार्टी द्वारा केस का निपटारा नहीं होता तो वह उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक द्वारा न्यायलय को भेज दिया जाता है ।

बजट

बजट अलाटमैंट	46495000/-
खर्चा	35466394/-

22.3 उपलब्धियां :–

लक्ष्य	150600000/-
उपलब्धि	130698887/-

22.4 कम्पाउंडिंग फीस :–

• कुल चालान	364
• कुल मामले कम्पाउडिंड	384
• कुल कम्पाउडिंग फीस	2292500/-
कुल व्यापारियों की संख्या जिनके माप तोल यन्त्र स्टैम्प किये गये	147896
कुल स्टैम्प किये गये माप तोल यन्त्र	741501

22.5 चौकसी विभाग से सम्बन्धित सूचना–

वर्ष 2016–17 में चौकसी विभाग द्वारा कहे जाने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दिए गए विभिन्न दण्डों की सूचना–शून्य

22.6 वेतन वृद्धि पर रोक लगाए गए अधिकारी/कर्मचारी का नाम–शून्य

22.7 निलम्बित किए गए अधिकारी /कर्मचारी का नाम–

श्री राजेष कुमार, सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान– 18.01.2016 से 18.10.2016

22.8 डिसमिस किए गए अधिकारी/कर्मचारी का नाम–शून्य

22.9 आरोपित किए गए अधिकारी /कर्मचारी का नाम–शून्य

22.10 सेवा के दौरान दिवंगत अधिकारी /कर्मचारी का नाम–शून्य

22.11 प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारी /कर्मचारी का नाम :–शून्य

22.12 सेवानिवृत हुए अधिकारी/कर्मचारी का नाम :–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह , निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान – 31.08.2016
2. श्री राजेन्द्र सिंह, साज सामान मुरम्मतकर्ता – 31.03.2017